(31)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

**समक्ष : मनोज गोयल,**
**अध्यक्ष**

निगरानी प्रकरण कमांक 2489–एक/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–6–2014 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण कमांक 140/अपील/2012–13.

.....

1– लक्ष्मणसिंह पिता श्री उँकारसिंह

2– करणसिंह पिता श्री उँकारसिंह

3– किशनबाई विधवा श्री इंदरसिंह

4– कालुसिंह पिता श्री इंदरसिंह

5– तुफानसिंह पिता श्री इंदरसिंह

6– रामलाल पिता श्री इंदरसिंह

निवासीगण ग्राम कांटिया तहसील सुवासरा

जिला मंदसौर म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

नसरू पिता चॉद खॉ,

निवासी ग्राम बसई तहसील सुवासरा जिला मंदसौर

.....अनावेदक

.....

श्री के0के0कंवर, अभिभाषक–आवेदक
श्री जी0एस0शेख, अभिभाषक–अनावेदक

.....

## :: आदेश ::

( आज दिनांक 9/2/17 को पारित )

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा ) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.6.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा संहिता की धारा 115 व 116 के अन्तर्गत तहसीलदार के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बसई स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1486 रकबा 2.540 हेक्टेयर वर्ष 1976–77 तक उँकारसिंह पिता के नाम दर्ज चली आ रही थी । वर्ष 1977 में उँकार का देहांत हो जाने के कारण उक्त भूमि उसके वारिसान उदेसिंह, बापुलाल, इंदरसिंह, लक्ष्मणसिंह, करणसिंह के नाम नामान्तरण पंजी क्रमांक 34 दिनांक 26–1–1978 से दर्ज हुई । उदेसिंह ला औलाद फौत हुये और उनके कोई संतान नहीं थी । बापूलाल व इंदरसिंह की भी मृत्यु हो चुकी है । उँकारसिंह की पत्नी समंदरबाई का भी देहांत हो चुका है । वर्ष 1988–89 के पांचशाला खसरा में सर्वे क्रमांक 1486/1 रकबा 2.540 हेक्टेयर के रकबे को खसरे के कॉलम नम्बर 2 को गोल करके रकबा 1.286 हेक्टेयर कर दिया गया, जबकि खसरे के कॉलम नम्बर 13 व 14 में रकबा 2.540 हेक्टेयर ही रहा, जबकि खसरे के कॉलम नम्बर 16 में सर्वे क्रमांक 1486 पैकि रकबा 1.254 हेक्टेयर पर अनावेदक नसरू का नाम दर्ज कर दिया गया है । उक्त प्रविष्टि नामान्तरण पंजी क्रमांक 26/1989–90 से स्वीकृत होना बताया गया है, परन्तु आदेश का कोई दिनांक नहीं है । अतः उक्त फर्जी रूप से की गई प्रविष्टि निरस्त कर पुराना सर्वे नम्बर 1486 नवीन सर्वे नम्बर 1420 से अनावेदक का नाम कम किया जाकर आवेदक का नाम दर्ज किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 151/अ–63/2010–11 दर्ज कर दिनांक 20–7–12 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नम्बर 1420 (पुराना सर्वे नम्बर 1486/1) रकबा 1.250 हेक्टेयर से अनावेदक का नाम विलोपित कर वास्तविक भूमिस्वामी आवेदकगण का नाम दर्ज किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–11–12 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 26–6–14 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय एवं

अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश निरस्त किये गये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये थे जिसमें हस्तक्षेप करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है , क्योंकि द्वितीय अपील में समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप की अधिकारिता नहीं है ।

(2) अनावेदक द्वारा स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में स्वीकार किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर उसका आधिपत्य है और कब्जे के आधार पर नामान्तरण करने का अधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं है । पटवारी द्वारा क्षेत्राधिकार रहित कोई इंद्राज किया जाता है तो वह प्रारंभ से ही शून्यवत् है जिसमें समय सीमा का कोई बंधन लागू नहीं होता है ।

(3) अपर आयुक्त द्वारा यह मानने में त्रुटि की गई है कि संहिता की धारा 116 के अन्तर्गत एक वर्ष के भीतर आवेदन पत्र प्रस्तुत किय जाना चाहिये । इस संबंध में मात्र धारा का उल्लेख कर देने से आवेदन पत्र के तथ्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और आवेदन पत्र के तथ्यों पर बिना विचार किये किसी भी पक्षकार को न्याय से बंचित नहीं किया जा सकता है ।

(4) पटवारी द्वारा बिना किसी आदेश के फर्जी प्रविष्टि की गई थी जिसे किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा प्रविष्टि निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है ।

(5) आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के की गई प्रविष्टि को दुरूस्त करने का आवेदन पत्र दिया गया था जिस पर तहसीलदार द्वारा विधिवत् विचार किया जाकर आदेश पारित किया गया है, जबकि अपर आयुक्त द्वारा तकनीकी आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश निरस्त करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।

(6) आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत तर्को एवं न्यायदृष्टांत पर बिना विचार किये आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

तर्क के समर्थन में 1984 आरएन 250, 1996 आरएन 350, 1998 आरएन 211, 2005 आरएन 212, 1985 आरएन 308, 2014 आरएन 361, 2002 आरएन 238, 1998 आरएन 296, 1986 आरएन 208 व 1973 आरएन 332 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 23–11–2016 को 7 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करने का निवेदन किया गया था, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेखों में उदयसिंह तथा अन्य के नाम से संयुक्त खाते में दर्ज थी। उदयसिंह की मृत्यु होने पर खसरे में अवैध प्रविष्टि की जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का नाम दर्ज कर दिया गया । जिस पंजी के आधार पर अनावेदक का नाम दर्ज किया गया है वह पंजी भी अभिलेख में उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 115/116 के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण की गई प्रविष्टि को संशोधित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है क्योंकि संहिता की धारा 115/116 के अन्तर्गत अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध करने की अधिकारिता तहसीलदार को प्राप्त है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश होने से उसकी पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि नहीं की गई है । इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष अनुचित प्रतीत होता है कि तहसीलदार द्वारा 22 वर्ष पश्चात् त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को शुद्ध करने में विधि विपरीत कार्यवाही कार्यवाही की गई है क्योंकि संहिता की धारा 116 के अन्तर्गत एक वर्ष की समय सीमा निर्धारित है, कारण यदि मूल आदेश संदेहास्पद है तो ऐसे आदेश के आधार पर की गई प्रविष्टि पूर्णतः अवैधानिक होकर क्षेत्राधिकार रहित प्रविष्टि मान्य होगी जिसके संबंध

में कोई समय सीमा लागू नहीं होती है । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.6.2014 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर